

## कार्यालय—अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, स्थित निबलेट बाराबंकी।

पत्रांक /अधी0गंज0/दूध ठेका पत्रा0/2017-18

दिनांक :-

### निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चक गंजरिया, स्थित निबलेट बाराबंकी पर उत्पादित गाय के दूध की बिक्री हेतु टेण्डर स्वीकृत होने की तिथि से 31.03.2018 तक किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा मोहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म दिनांक 01.05.2017 से 07.05.2017 षायं 05.00 तक एवं दिनांक 08-05-2017 को पूर्वान्ह 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में रू0 112.00 के नकद मूल्य पर प्राप्त किये जा सकते हैं, और दिनांक 08.05.2017 को अपरान्ह 01.00 बजे तक टेण्डर बाक्स में डाले जा सकते हैं। टेण्डर फार्म के साथ बयाने के रूप में रू0 15000.00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना एवं निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। टेण्डर दिनांक 08.05.2017 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपरान्ह 02:00 बजे टेण्डरदाताओं की उपस्थिति में क्रय-विक्रय परिषद द्वारा खोले जायेंगे और आवश्यकता पड़ने पर टेण्डरदाताओं से निगोषिएसन कराया जायेगा। पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखानी होगी, सफल टेण्डर दाता को अपने बर्तनों में अपने साधन से प्रतिदिन प्रातः एवं सायं काल दुहान की समाप्ति के आधा घण्टे के अन्दर स्टाफ एवं अन्य विभागीय/षासकीय अधिकारियों को वितरण के पश्चात् दोनों समय जितना भी दूध बचेगा उसे उठाना होगा। यदि ठेकेदार उपलब्ध दूध को नहीं उठाता है तो शेष दूध के निस्तारण में जो व्यय होगा उसे ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि से काट लिया जायेगा। ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) जमानत के रूप में किसी राष्ट्रीय कृत बैंक का एफ0डी0आर0 जो उपनिदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम बन्धक होगी जमा करना होगा, तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक सप्ताह के दूध की धनराशि नगद जमा करनी होगी एवं 200.00 रू0 के जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शर्तनामा भरना होगा। यदि निविदादाता अपनी दर से मुकर जाता है तो उसके द्वारा जमा जमानत की धनराशि राजकीय हित में जब्त कर ली जायेगी। मण्डलीय क्रय विक्रय परिषद को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि बिना कारण बताये एक या समस्त निविदा को निरस्त कर सकता है।

ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि ठेका संतोषजनक समाप्त होने के छः माह के पश्चात वापस कर दी जायेगी यदि सफल निविदा दाता अपनी दी गयी दर/शर्तो से मुकर जाता है तो उसकी जमानत की धनराशि शासन हित में जब्त कर ली जायेगी। स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित दर के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसका व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। टेण्डरदाता की ओर से लगायी गयी कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि ठेकेदार निविदा की शर्तो का पालन नहीं करता है तो वह भविष्य में टेण्डर डालने का पात्र नहीं होगा।

(डा0एम0पी0सिंह)

अधीक्षक,

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र,

चक गंजरिया, स्थित निबलेट बाराबंकी।